<u>न्यायालय सिविल जज(वरीय कोटि)–III, कहलगॉव, भागलपुर</u>

पीठासीन पदाधिकारीः– मो0 तसनीम कौसर

<u>दीवानी वाद संख्या–64 / 2025</u>

संजीव कुमार सिन्हा व अन्य..(वादीगण)

बनाम

भवेश प्रसाद राम व अन्य...(प्रतिवादीगण)

<u>आदेश</u>

25.09.2025:–

वादी की ओर से हाजिरी दी गयी। वाद का पुकार किया गया। पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। उनके द्वारा का प्रतिस्थापन आवेदन U/O- 22 Rule- 04 दिनांक 08.08.2025 को प्रचालित किया गया। वादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस वाद के प्रतिवादी संख्या 03 गीता देवी की मृत्यु दिनांक 28.06.2025 को हो गयी है जो अपने पीछे निर्मल सिन्हा, राकेश कुमार सिन्हा, बिनय कुमार सिन्हा, सिद्धार्थ कुमार सिन्हा एवं राजश्री कुमारी को छोड कर गये है। वाद मे उचित न्यायनिर्णयन के लिए प्रतिवादी सं0 03 के उतराधिकारियों की उपस्थिति आवश्यक है। अतः न्यायहित मे प्रतिवादी सं0 03 के नाम को वादपत्र से विलोपित कर उनके कानूनन वारिसानो के नामो को उनके स्थान पर प्रतिस्थापित करने हेतु उचित आदेश पारित करने की कृपा की जाय।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। वादी अभी प्रारंभिक अवस्था में एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु चला आ रहा है। वादी के आवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी का प्रतिस्थापन आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है साथ ही समय सीमा के अंदर है। वाद की समुचित विनिश्चयन एवं वाद के दृष्टिकोण से प्रतिस्थापन आवेदन को स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी का प्रतिस्थापन आवेदन दिनांक 08.08.2025 को **स्वीकृत** किया जाता है।

वादी ससमय आवेदनानुसार मृतक प्रतिवादी सं0 03 का नाम वाद पत्र से विलोपित कर उनके वारिसानो का नाम प्रतिस्थापित करे। वाद दिनांक वास्ते मृतक प्रतिवादी संख्या 03 के वारिसानों की उपस्थिति हेतु वादी सम्मन की अपेक्षिताऐं दोनो माध्यम से दाखिल करें।

सिविल जज(वरीय कोटि)-III

कहलगॉव(भागलपुर)